संख्या– 1328 /वि0अनु0–5/व्या0क0/ 2003

प्रेषक,

प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–5 ::देहरादून:: दिनांक सितम्बर, 2003

विषय– **सिविल संविदाकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर से 5 प्रतिशत से अधिक माल के आयात करने पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क जमा करने की सुविधा।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 695/ व्या0क0 विधि–91 दिनांक 16–02–2003 का सन्दर्भ लें।

सिविल संविदाकारों पर सिविल संविदा के निष्पादन से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि पर व्यापार कर अधिनियम की धारा 7 घ के अन्तर्गत वर्ष 1987 से वर्ष 2000 तक 1 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क देय था। कमिश्नर व्यापार कर, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या विधि–1 (3) सिविल सकर्म संविदा (2000–2001)–761 दिनांक 10–08–2000 द्वारा वर्ष 2000–2001 से सिविल संविदाकारों के सम्बन्ध में लागू की गयी समाधान योजना के प्रस्तर 3 में प्रदेश के बाहर से आयातित माल की कुल धनराशि संविदा की धनराशि की 5 प्रतिशत तक होने पर 1 प्रतिशत की दर से तथा उससे अधिक आयात होने पर देय समाधान शुल्क के अतिरिक्त 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल की बिक्री पर धारा 7 घ के अन्तर्गत नियमानुसार करनिर्धारण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सन्दर्भ में उत्तराखण्ड कौनटैक्टर वेलफेयर ऐसोसियेशन देहरादून द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के पूर्व सिविल संविदा के निष्पादन में प्रयोग होने वाला सारा माल प्रदेश के अन्दर ही प्राप्त हो जाता था। परन्तु प्रान्त के विभाजन के पश्चात उत्तरांचल में स्थित संविदाकारों को सिविल संविदा के निष्पादन में प्रयोग होने वाले विटूमिन, एल0 डी0 ओ0 व अन्य पेट्रोलियम आधारित पदार्थ उत्तर प्रदेश से आयात करने पड़ते हैं जिनका प्रतिशत काफी अधिक होता है। इस व्यवस्था से उत्तर प्रदेश के संविदाकारों की तुलना में उत्तरांचल के संविदाकारों को लेविल प्लेइंग फील्ड नहीं प्राप्त हो पा रहा है।एशोसियेशन द्वारा अनुरोध किया गया है कि संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयात की दशा में ऐसे आयातित माल के विक्रय धन पर करनिर्धारण किये जाने का प्राविधान समाप्त कर दिया जाय व पूर्व के अनुसार सिविल संविदा के निष्पादन से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि पर एक प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क लागू जाय।

शासन स्तर पर उक्त प्रत्यावेदन के परीक्षण के उपरान्त निर्णय लिया गया है कि वर्तमान समाधान योजना को यथावत लागू रखा जाय किन्तु जिन सिविल संविदाकारों द्वारा संविदा की धनराशि का 5 प्रतिशत से अधिक माल प्रदेश के बाहर से आयात किया गया है उनको समाधान योजना लागू होने के वर्ष 2000 से ही यह विकल्प उपलब्ध करा दिया जाय कि वह सिविल संविदा के निष्पादन से प्राप्त होने वाली धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क दे सकते हैं।

इस संशोधन के लिये कमिश्नर व्यापार कर के आदेश संख्या 761 दिनांक 10–08–2000 के प्रस्तर (3) के पश्चात समाधान योजना लागू होने की तिथि से ही निम्न प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय।

"प्रतिबन्ध यह है कि प्रदेश के बाहर से संविदा की धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का आयात करने वाले संविदाकार को यह विकल्प होगा कि वह संकर्म संविदा के निष्पादन से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि पर 1 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क जमा कर दें तथा ऐसी दशा में कर निर्धारण से सम्बन्धित प्राविधान लागू नहीं होगा।"

कृपया उपरोक्तानुसार करनिर्धारण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।